कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या: 4152 /दस–185(1)शीरा–नीति/2003–2004, इलाहाबाद:दिनांक:12 फरवरी,2004.

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 3856/दस–185(1)/शीरा–नीति/2002–2003 दिनांक 7–12–2002 के संदर्भ में, मैं अरूण कुमार बिट, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 की धारा–8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या 9 ई–2/तेरह–2004–55/2003 दिनांक 3–2–2004 के कम में शीरा वर्ष 2003–2004 के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के संबंध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ :–

1– गत वर्ष की भाँति चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे को शत–प्रतिशत बिकी हेतु नियंत्रणमुक्त रखा जाता है।

2– शीरा वर्ष 2003–2004 में प्रत्येक चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के 20 (बीस) प्रतिशत अंश को प्रदेश के बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी। चीनी मिलों द्वारा उत्तरांचल राज्य में स्थित रासायनिक उद्योगों को बिकी किये गये शीरे की मात्रा को इस 20 (बीस) प्रतिशत अंश में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3– गत वर्ष की भांति वर्ष 2003–2004 में भी प्रदेश के अन्दर शीरे की खपत पर प्रशासनिक शुल्क रूपया 8/–(आठ रूपया) प्रति कुन्टल की दर से वसूल किया जायेगा तथा उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाइयों को आपूर्ति किये जाने वाले शीरे पर प्रदेश में बिकी किये जाने वाले शीरे पर अधिरोपित प्रशासनिक शुल्क रूपया 8/–(आठ रूपया) प्रति कुन्टल के समान ही प्रशासनिक शुल्क देय होगा। प्रदेश के बाहर निर्यात किये जाने वाले शीरे पर रूपया 15/–(पन्द्रह रूपया) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क देय होगा।

4– शीरा वर्ष 2003–2004 में प्रदेश के बाहर से आयातित शीरे पर रूपया 8/–(आठ रूपया) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क देय होगा।

5– उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शीरे की आपूर्ति की अधिकतम सीमा 30,00,000 (तीस लाख) कुन्टल होगी। यह सुविधा रेसीप्रोकल (Reciprocal) आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तरांचल राज्य के रासायनिक उद्योगों को शीरा आपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर यह प्रतिबन्ध रहेगा कि इसका उपयोग पेय मदिरा बनाने में नही किया जायेगा। उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाइयों को शीरा आपूर्ति की सुविधा 31 अक्टूबर,2004 तक अनुमन्य रहेगी।

6– शीरा निधि की धनराशि को अन्तर्इकाई हस्तान्तरण की सुविधा एक ही संगठन की सभी चीनी मिलों को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी कि शीरा निधि का अन्तर्इकाई हस्तान्तरण करने के पूर्व शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

7— शीरा वर्ष 2003—2004 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष 2004—2005 में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2004—2005 के लिए शीरा नीति की घोषणा नही कर दी जाती।

8— उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शीरे का निर्यात तथा अन्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में शीरे का आयात इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र पर ही किया जायेगा।

9— शीरे पर आधारित लघु इकाइयाँ शीरे का उठान शीरा पास—बुक पर ही कर सकेंगी।

(अरूण कुमार बिट)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 4153-4451 /दस—185(1)शीरा—नीति/2003—2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।
2— आबकारी आयुक्त, कैम्प कार्यालय, लखनऊ।
3— समस्त संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जोन्स/चार्जेज, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी, चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।
6— अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ, लखनऊ।
7— प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8— आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य, देहरादून।

(अरूण कुमार बिट)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।
12.2.04